कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गौतमबुद्धनगर

दिनांक 12.08.2019

जनपद गौतमबुद्धनगर पुलिस का सराहनीय कार्य।

थाना सेक्टर 20

दिनाँक 12.08.2019 को थाना सैक्टर 20 पुलिस द्वारा 02 वाहन चोर/लूटेरे अभियुक्तों को संदीप पेपर मिल चौराहा के पास सैक्टर 02 से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध शस्त्र , 04 मोटर साइकिल , 01 स्कूटी , 05 मोबाईल फोन लूट के एवं मोटर साइकिल चोरी करने के उपकरण बरामद किये गये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1. मोहित पुत्र अरविन्द सिंह नि0 कुलदीप का मकान गली न0 06 त्रिलोक पुरी थाना मयूर विहार दिल्ली।
2. विक्रम सिंह पुत्र मोहर सिंह ग्राम काले रामपुर थाना रसोलाबाद जिला कानपुर देहात।

बरामदगी–

1. एक चाकू नाजायज
2. 04 मोटर साइकिल ,
3. 01 स्कूटी ,
4. 05 मोबाईल फोन विभिन्न कम्पनी के
5. मोटर साइकिल चोरी करने के उपकरण(13 चाबिया , एक प्लास , एक रेती)

अभियोग का विवरण –

1– मु0अ0स0 1026/19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सेक्टर 20 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।
2– मु0अ0स0 1027/19 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर 20 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

मीडिया सेल
गौतमबुद्धनगर पुलिस

थाना फेस 2

दिनाँक 11.08.2019 को थाना फेज 2 पुलिस द्वारा ग्रीन बेल्ट फेज 2 में सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 05 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 52 ताश के पत्ते व 2303 रूपये नगद बरामद किये गये है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण–

1–यशपाल पुत्र एदल सिंह नि0 मलकपुर अनूप शहर जिला बुलंदशहर
2– अमरदीप पुत्र रामलखन नि0 कल्ला, भोगनीपुर जिला कानपुर देहात
3–दीपक पुत्र सुभाष नि0 अमया ,अनूप शहर जिला बुलंदशहर
4–विशाल पुत्र राजेन्द्र नि0 अहेरी पुरबकेवर जिला इटावा
5–प्रदीप पुत्र रणधीर नि0 इकोटेक 3 ग्रेटर नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर

बरामदगी–

52 पत्ते ताश
नकद 2303 रुपये

अभियोग का विवरण –
– मु0अ0स0 632/19 धारा 13 जुआ अधि0 थाना फेस 2 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर।

मीडिया सेल
गौतमबुद्धनगर पुलिस

थाना सैक्टर 39

दिनांक 11/08/19 ओखला एम.सी.डी. टोल पर 14600 रू0 की अवैध रूप से मांग करने एंव न देने पर मारपीट कर उसकी हत्या करने वाले तथा शव को नोएडा के थाना सैक्टर 39 क्षेत्र में फेंकने वाले सात अभियुक्त गिरफ्तार

दिनाँक 10–8–2019 को केन्टर चालक की 14600 रू0 की टोल की अवैध पर्ची न कटवाने व इसका विरोध करने पर मारपीट की गयी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गयी । उपरोक्त सम्बन्ध मे थाना सैक्टर 39 पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुये सात अभियुक्तगणों को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण –
मृतक केन्टर चालक विमल कुमार तिवारी दिनाँक 9–8–2019 को केन्टर यूपी 16 एटी 8647 बिजली के पैनल लोड करवाकर सैक्टर 59 नोएडा से घिटोरनी दिल्ली के लिये निकला तो टोल से आगे निकल गया तो टोल पर मौजूद टोल कर्मचारीगणो द्वारा अपनी गाडी से पीछा कर पकड लिया और केन्टर चालक से 10 गुना जुर्माने के रूप मे 14600 रू0 की अवैध पर्ची कटवाने का दबाब बनाया गया । जिसका मृतक विमल कुमार तिवारी द्वारा विरोध किया गया । अभियुक्तगणो ने उसका केन्टर व कागजात टोल पर खडा कराकर उसके साथ मारपीट कर मरणासन्न अवस्था मे थाना सैक्टर 39 नोएडा क्षेत्र में फेक दिया गया था। जिसको मौके पर आये मृतक के भाई तथा पुलिस द्वारा जिला अस्पताल नोएडा ले जाया गया जहाँ उसको मृत घोषित कर दिया गया । उपरोक्त सम्बन्ध मे थाना सैक्टर 39 नोएडा पर मृतक के भाई रामश्रृगार तिवारी पुत्र स्व0 श्री उदय नारायण तिवारी नि0 मंजू देवी का मकान ग्राम वाजिदपुर थाना सैक्टर 58 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर द्वारा अभियुक्तगणो के विरूद्ध मु0अ0स0 851/19 धारा 147/149/384/302 भादवि पंजीकृत कराया गया था। पूछताछ मे अभियुक्तगणो द्वारा बताया गया कि अवैध पर्ची ये लोग अपने टोल मैनेजर के कहने पर काटते है। उक्त टोल को महाराष्ट्र की एम.ई.पी. (महाराष्ट्र एन्ट्री प्वाइन्ट) द्वारा संचालित किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त
1– मनरूप पुत्र बेगूराम नि0 ग्राम गोवर्धनपुरा थाना निका जिला सीकर राजस्थान ।
2– धर्मपाल पुत्र फूलचन्द नि0 ग्राम गोवर्धनपुरा थाना निका जिला सीकर राजस्थान ।
3– अमित कुमार पुत्र रामेश्वर लाल नि0 ग्राम डाबला थाना पाटल जिला सीकर राजस्थान।
4– चेतन प्रकाश पुत्र भवरलाल नि0 ग्राम हरियासर घडसोदान थाना सरदार शहर जिला चूरू राजस्थान।
5– सराजुद्दीन पुत्र मो0 हुस्सैन नि0 ग्राम पडिहारा थाना पडिहारा जिला चूरू राजस्थान।
6– मनोज पुत्र दीनदयाल नि0 बी 275 रामलला मैदान के पीछे थाना दादिया जिला सीकर राजस्थान ।
7– कृष्ण कुमार पुत्र रोहताश नि0 ग्राम धनौता थाना नारनौर जिला महेन्द्रगढ हरियाणा ।

अभियोग का विवरण–
–मु0अ0स0 851/19 धारा 147/149/384/302 भादवि थाना सैक्टर 39 नोएडा
वाछित अभियुक्त–
–टोल मैनेजर
बरामदगी–
–एक आयशर कैन्टर यूपी 16 एटी 8647

थाना सूरजपुर

दिनांक 23–07–19 को थाना सूरजपुर अन्तर्गत रियलएस्टेट सेल्स मैनेजर के साथ हुए शूटआउट केस का सफल खुलासा

दिनांक 11.08.2019 को थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों को ऐस प्लेटिनम तिराहे से साकीपुर गोल चक्कर की तरफ जाने वाली रोड से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से एक .32 बोर की देशी पिस्टल व पांच जिन्दा कारतूस तथा घटना में प्रयुक्त पल्सर मो0सा0 बरामद की गयी है।

घटना का विवरण –

दिनांक 23–7–19 को थाना सूरजपुर के साईट सी क्षेत्र में दो अज्ञात हमलावरों द्वारा ओएसिस बिल्डर में काम करने वाले सैल्स मैनेजर श्री राजीव वर्मा पर ओएसिस प्रापर्टी आफिस के सामने समय दिन के लगभग 12.00 बजे जान से मारने की नियत से दो अज्ञात पल्सर मोटर साईकिल सवार व्यक्तियों द्वारा फायर किये गये , जिसमें राजीव वर्मा को 4 गोलिंया लगी, जिससे वे गम्भीर रूप से घायल हो गये सूचना पर दिं0 23–7–19 को थाना सूरजपुर पर मु.अ.सं0 881/19 धारा– 307 भा.द.वि बनाम दो अज्ञात हमलावर के विरूद्ध दर्ज किया गया था।
गिरफ्तार अभियुक्त रोहित ने पूछताछ पर बताया कि उसका तथा मजरूब राजीव वर्मा की पत्नी शिखा का विगत एक वर्ष से प्रेम प्रसंग चल रहा था शिखा का परिचय अभि. रोहित उपरोक्त से जिम हुआ था व शिखा को जिम में प्रशिक्षण देता था, दोनो में निकटता के पश्चयात शारीरिक सम्बन्ध बन गये , इसी सम्बन्ध के कारण शिखा ने रोहित से मिलकर अपने पति राजीव वर्मा की हत्या की योजना बनाई तथा इसके लिए रोहित को एक लाख बीस हजार रूपये की रकम दी जिससे वो किसी कान्ट्रेक्टर किलर को किराये पर ले सके, बाद में रोहित ने अपने साथी मनीष के साथ मिलकर इस काम को स्वयं अंजाम देने की योजना बनाई,और स्वयं इस घटना को अपने साथी के साथ मिलकर अंजाम दिया, शिखा को पुछताछ के लिये थाने पर बुलाया गया, जिसमे अपने सम्बन्ध रोहित से स्वीकार करते हुए अपराध में संलिप्ता स्वीकार की, शिखा का अपराध स्वीकार करने पर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण

(1) रोहित कश्यप पुत्र कंवर सिंह नि0 हाल पता किरायेदार वाल्मिकी का मकान गली नं0 15ए मौहल्ला चन्दन विहार बुराडी थाना बुराडी दिल्ली

(2) रोहन उर्फ मनीष पुत्र योगेश कुमार नि0 मकान नं0 1408 गली नं0 13गोविन्दपुरी थाना गोविन्दपुरी दिल्ली ।

(3) श्रीमति शिखा पत्नी श्री राजीव वर्मा नि0 म.नं0 238 हरित विहार संत नगर बुराडी थाना बुराडी, दिल्ली ।

बरामदगी

(1) एक पल्सर मोटर साईकिल बिना नम्बर (घटना में प्रयुक्त)

(2) एक देशी पिस्टल .32 बोर (घटना में प्रयुक्त) व 05 कारतूस जिन्दा .32 बोर के